श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2009

क्रमांक एफ 1-25/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये प्रमाणीकरण अधिकारी नियुक्त करता है.

No. F 1-25/2008/16.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Order) Act, 1961 (No. 26 of 1960) and in supersession of all notifications issued in this behalf previously, the State Government hereby appoints Assistant Labour Commissioner, office of the Labour Commissioner, Raipur as the Certifying Officer for the whole of the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

क्रमांक 2-52/2002/12.—जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग अन्तर्गत गोल्ड, डायमण्ड एण्ड एसोसिएटेड मिनरल्स के अन्वेषण हेतु 1800 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के लिए मेसर्स बी. एच. पी. खनिज अन्वेषण प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 02-08-2006 से 01-08-2009 तक (03) तीन वर्ष की अवधित के लिये रिकॉनेसेन्स परमिट स्वीकृत था. उक्त स्वीकृत रिकोनेसेन्स परमिट की दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कंपनी द्वारा संपूर्ण क्षेत्र का त्याग (Relinquish) करने के फलस्वरूप नीचे विवरण में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अन्तर्गत 1800 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र खाली हो गया है, जिसे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नियम 59 (1) (ii) के अन्तर्गत पुनः खनिज रियायत स्वीकृति हेतु खुला घोषित किया जाता है.

अनुसूची

जिला	आवेदित क्षेत्र का अक्षांश एवं देशांश का विवरण उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग 64/D, H & A, E		
	बिन्दु	देशांश	अक्षांश
उत्तर बस्तर कांकेर एवं दुर्ग	A	20°30'00"	81°02'58"
	B	20°21'40"	81°20'15"
	C	19°59'10"	81°14'15"
	D	19°59'00"	80°57'55"
	E	20°01'16.50"	80°57'36.24"
	F	20°01'04.26"	80°58'08.31"
	G	20°03'00.75"	81°00'28.53"
	H	20°04'04.26"	80°59'54.30"
	I	20°02'020"	80°57'30"

2. उक्त क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनिज रियायत के पुनः अनुदान हेतु उपलब्ध होगा.